Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

आदेश

यह कि मुख्यालय के आदेश पृ0 क्रमांक 3ई(1)–2024/3960, दिनांक 14.03.2014 द्वारा श्री बलविन्द्र, सहायक (Payee Code 8E5GW6) का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, रोहतक के कार्यालय से जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, रेवाडी के कार्यालय में किया गया था। कर्मचारी ने उक्त स्थानातरण आदेशों के विरूद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ में सी.डब्लू.पी. न0 6862/2024 दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.03.2024 द्वारा मुख्यालय के स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.03.2024 पर स्टे के आदेश पारित किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2024 को केस को डिस्पोज ऑफ करते हुये निम्न आदेश पारित किये हैं:–

1. Learned counsel would contend that regarding the claim raised in the present petition, a representation dated 15.03.2024, Annexure P-3, has been submitted by him, which has yet not evoked any response. He thus, at this stage, on instructions from the petitioner, prays that a direction be given to the respondents to decide the same in a time bound manner.
2. Learned State Counsel has not objections to the limited prayer made.
3. In view of the above and without commenting on the merits of the case, this petition is hereby disposed of with a direction to the respondents to consider and decide the representation dated 15.03.2024 expeditiously in accordance with law.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के संदर्भ में कर्मचारी प्रतिवेदन दिनांक 15.03.2024 पर आगामी कार्यवाही करने से पूर्व कर्मचारी को दिनांक 23.08.2024 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। व्यक्तिगत सुनवाई उपरांत कर्मचारी ने अपने लिखित रूप में दिये गये ब्यान में वर्णन किया है कि उसकी माताजी का दिनांक 29.04.2024 को देहांत हो गया है परन्तु उसकी पत्नी भी Chronic Disease की मरीज है तथा उसके बच्चे अभी छोटे हैं। कर्मचारी ने उसके स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.03.2024 को रदद करने का अनुरोध किया है।

इस प्रकार कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई पर दिये गये ब्यान के दृष्टिगत मुख्यालय के आदेश पृ0 क्रमांक 3ई(1)–2024/3960, दिनांक 14.03.2014 कर्मचारी के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, रोहतक के कार्यालय से जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, रेवाडी के कार्यालय में प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण आदेशों को रदद किया जाता है।

तदानुसार ऐसे आदेश पारित करता हूं।

Mukul kumar.

दिनांक, चण्डीगढ़
23.08.2024

(मुकुल कुमार)
निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0कमांक 3ई(1)–2024/12599 दिनांक, चण्डीगढ़ 23/08/2024

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती हैः–

1 श्री बलविन्द्र, सहायक मार्फत जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक, रोहतक।
2. जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, रोहतक तथा रेवाडी।
3. निजी सचिव/ओ0एस0डी0/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा सरकार, निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य महोदया, हरियाणा सरकार, निजी सचिव/निदेशक खाद्य महोदय (माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य महोदया तथा निदेशक खाद्य महोदय की सूचना के लिये)
4. महाधिवक्ता, हरियाणा, चण्डीगढ को उनके कार्यालय के पत्र कमांक 1483, दिनांक 09.08.2024 के संदर्भ में।
5. उप–अधीक्षक, स्थापना शाखा–111, मुख्यालय।
6. 2ई(1) माध्यम उप–अधीक्षक, स्थापना शाखा–1, मुख्यालय।
7. श्रीमती शिखा, जूनियर प्रोग्रामर, मुख्यालय को उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Negi 23/8/24

उप–निदेशक(प्रशासन)
कृतेः निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

2nd Floor, 30 Bays Building, Sector-17-B, Chandigarh/दूसरी मंजिल, 30 बेज बिलडिंग, सैक्टर–17–बी, चण्डीगढ
Please visit us at http://haryanafood.nic.in
E-mail/ई-मेल: foodesti@gmail.com